न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री बी.एल.कोठारी**
आई.ए.एस

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
कांतिलाल पुत्र तोलारामजी जाति मेघवाल निवासी विराणा तहसील सायाला जिला जालोर		सरकार जिला रसद अधिकारी जालोर

प्रकरण अपील संख्या 01/2018

अपील अर्न्तगत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976

.....

पक्षकारान :-

1-श्री अनिल कुमार अभिभाषक अपीलान्ट।

2-श्री पुष्पराज पालीवाल, प्रर्वतन अधिकारी

निर्णय

दिनांक:- 12.02.2018

1. अपीलान्ट के वकील द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी जालोर द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रकरण संख्या 80/2017 अनवान सरकार बनाम मैसर्स कांतीलाल पुत्र तोलाराम उचित मूल्य दुकानदार ग्राम विराणा में दिनांक 08.11.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. अपीलांट के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपील को subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए सम्मन सूचित किया गया। अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली तलब की गई। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में संबंधित पक्षो की बहस सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान वकील ने व्यक्त किया कि अपीलांट ग्राम विराणा में उचित मूल्य का सामान वितरण का लाईसेन्सधारी था। जिसका माह सितम्बर 2017 में गेहूं चीनी व केरोसीन का वितरण सही नहीं होना मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्राधिकरण पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने का आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी व वाक्याती भूल की है। दिनांक 01.08.2017 को ई.ओ.जालोर ने जिला रसद अधिकारी जालोर को सूचना दी कि माह सितम्बर 2017 में अपीलांट द्वारा 20.85 क्विंटल गेहूं, 41 किलाग्राम चीनी व 153.50 लीटर केरोसीन वितरण रजिस्टर में बताया गया है जो नियमानुसार वितरण नही करना बताकर अनियमितता करना बताकर रिपोर्ट पेश करने पर दिनांक 03.08.2017 को प्रकरण दर्ज किया। जिस पर अपीलांट ने अपना स्पष्टीकरण पेश किया लेकिन आगे बिना जांच किये दिनांक 08.11.2017 को आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी व वाक्याती भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 01.08.2017 में आदेश दिया था कि ई.ओ जालोर, डीलर के माह सितम्बर 2016 से जून 2017 तक के नक्शो की ऑनलाईन वितरण से मिलान की जांच करे। लेकिन ऐसी कोई जांच नही की गई तथा इस संबंध में ई.ओ. के बयान भी नहीं लिये न ही उन उपभोक्ताओ के बयान लिये जिनको ऑन लाईन पर्ची निकालकर दी थी। जो प्रक्रिया की त्रुटी है। अपीलांट ने जबाब पेश किया फिर भी जबाब रेकर्ड पर नहीं लिया। ई.ओ जालोर ने वितरण रजिस्टर सीज नहीं किया तथा गेहूं चीनी व केरोसीन मौजूद का तोल नही करवाया तथा राशनकार्ड धारक को वितरण किया या नहीं? इस संबंध में उनके बयान नहीं लिये। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वतंत्र जांच किये बगैर मात्र ई.ओ की रिपोर्ट पर आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती गलती की है।जो निरस्त योग्य है। दिनांक 05.11.2017 को अपीलांट की बहन की मृत्यु हो जाने के कारण अपीलाधीन आदेश की जानकारी नही थी। दिनांक 15.12.2017 को जालोर आने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने नकल मांगी जो 18.12.2017 को नकल मिलने पर अपील पेश की गई। अत: अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश खारिज किया जावे।

4. प्रर्वतन अधिकारी ने बहस में व्यक्त किया कि अपीलांट डीलर द्वारा उपभोक्तओ को आन लाईन पर्ची निकाल कर राशन सामग्री वितरण नहीं करने, वक्त जांच उपभोक्तओ ने अवगत करवाया कि डीलर द्वारा शराब पीकर उपभोक्तओ के साथ अभद्र व्यवहार करना

तथा उपभोक्तओ को राशन सामग्री नहीं देकर डीलर द्वारा हडपना पाये जाने पर बाद सुनवाई के अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधीवत होने से अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद सुनवाई के अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अधीस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में डीलर द्वारा अनियमितता बरतने पर प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। डीलर द्वारा अनियमितता की जाना पाये जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वस्तु का विनियमन आदेश 1976 के अर्न्तगत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सख्या 11 व 17 सी का उल्लंघन करने के कारण अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधीवत है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश में कोई अनियमितता होना नही पाए जाने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अत: उपर्युक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील भी अस्वीकार की जाती है तथा जिला रसद अधिकारी जालोर के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय दिनांक 12.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर,
जालोर